औचित्यपूर्णता : व्याख्या (Legitimacy : It's Meaning)

औचित्यपूर्णता एक ऐसी स्थिति का नाम है जिसके अन्तर्गत एक राजनीतिक व्यवस्था के सामान्य जन को यह विश्वास होता है कि सत्ता धारक की सत्ता और उसका प्रयोग सामान्य स्वीकृत नियमों और क्रियाविधियों पर आधारित है। डोल्फ स्टर्नबर्जर (Dolf Sternberger) ने इसे शासकीय शक्ति की नींव माना है जिसके अनुसार सरकार को यह चेतना रहती है कि उसे शासन करने का अधिकार है तथा दूसरी ओर शासितों द्वारा उस अधिकार को स्वीकार किया जाता है। एस. एम. लिपसेट के अनुसार, "औचित्यपूर्णता का अभिप्राय व्यवस्था की उस योग्यता और क्षमता से है जिसके द्वारा यह विश्वास उत्पन्न किया और स्थिर रखा जाता है कि वर्तमान राजनीतिक संस्थाएं समाज हेतु सर्वाधिक समुचित हैं।" प्रसिद्ध आधुनिक विचारक जीन ब्लोण्डेल के विचारानुसार, "औचित्यपूर्णता से अभिप्राय वह सीमा है जिस सीमा तक लोग उस संगठन को, जिससे वे संबंधित हैं बिना पूछताछ के तथा स्वाभाविक रूप से ही स्वीकार करते हैं, सहमति या स्वीकृति का क्षेत्र जितना विशाल होगा, उस संगठन का उतना ही अधिक औचित्य होगा।" कूहन एल्फ्रेड के कथनानुसार, "औचित्यपूर्णता का अर्थ शासकों और शासितों के मध्य एक समझौते की स्वीकृति है। इसके अत्यन्त आरम्भिक रूप से यह लोगों का एक ऐसा समझौता है जिसके अधीन लोग जीवित रहने और बन्दीगृह से बाहर रहने के बदले सरकार के आदेशों का पालन करना और कर देना स्वीकार करते हैं।

Avinash

औचित्यपूर्णता की उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि औचित्यपूर्णता का अर्थ उस सहमति या स्वीकृति से है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के सम्बन्ध में दी जाती है। यदि किसी राजनीतिक व्यवस्था या किसी संस्था को लोगों की ऐसी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती, तो उस व्यवस्था में वैधता की कमी हो जाती है और ऐसी व्यवस्था अधिकांश समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकती। शक्ति के प्रयोग से या शक्ति का प्रयोग करने की धमकी से प्राप्त की गयी लोगों की स्वीकृति किसी राजनीतिक व्यवस्था या संस्था को वैधता प्रदान नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में, लोगों की यह स्वीकृति उनके इस विश्वास पर आधारित होनी चाहिए कि यह राजनीतिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं की अपेक्षा अधिक उचित एवं समीचीन है, यह राजनीतिक व्यवस्था लोगों के मानसिक मूल्यों के अनुसार है और उस राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा लोगों की उचित आवश्यकताएं वैध रूप में पूर्ण होती हैं। यदि किसी भय या लालच के कारण लोग राजनीतिक व्यवस्था या अन्य संस्थाओं के प्रति सहमति व्यक्त करते हैं तो हम यह नहीं कह सकते कि उस व्यवस्था को वैधता या औचित्यपूर्णता प्राप्त है। साधारण शब्दों में, औचित्यपूर्णता का स्रोत भय या प्रलोभन के आधार पर प्राप्त की गयी लोगों की स्वीकृति नहीं, अपितु उनके 'विश्वासों एवं मूल्यों' (Beliefs and values) पर उनकी ऐच्छिक स्वीकृति है।

Anand

Scanned with CamScanner